वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 172/2025 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ** दिनांक-14.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 14.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- बरदहः गैर इरादत्तन हत्या में अपने पिता की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.25 को वादिनी किशा देवी पत्नी राजेन्द्र राजभर निवासी ग्राम अजाउर थाना बरदह जनपद आजमगढ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया है कि हमारे पति से परिवारिक बात को लेकर झगड़ा हो रहा था बीच बचाव के लिए हमारा छोटा लडका सुमित राजभर आया कि हमारे पति ने उसको कुल्हाडी लेकर मारने के लिए दौड़ाये कि दोनो में लडाई होने लगी अचानक गुस्सा मे आकर सुमित ने उसी कुल्हडी से वह लोहे की पाइप मे लगे मोटर साइकील के चैन स्पाकीट से बने औजार से हमारे पति राजेन्द्र राजभर पुत्र चुन्नी लाल उम्र 57 साल लगभग पर वार कर दिया जिनको चोट आ गयी हम लोग इलाज के लिए जा रहे थे कि उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 135/25 धारा 105 बी0एन0एस0** बनाम सुमित राजभर पुत्र स्व0 राजेन्द्र राजभर निवासी ग्राम अजाउर थाना बरदह जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 14.05.25 को **व0उ0नि0 सुरेन्द्र चन्द्र मिश्र** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित **अभियुक्त सुमित राजभर पुत्र स्व0 राजेन्द्र राजभर निवासी ग्राम अजाउर थाना बरदह जनपद आजमगढ** को कमालपुर चौराहे के पास से **समय करीब 09.30 बजे** हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- सुमित राजभर पुत्र स्व0 राजेन्द्र राजभर निवासी ग्राम अजाउर थाना बरदह जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 135/25 धारा 105 बी0एन0एस0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

02.थाना- जीयनपुरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 14.05.2025 को **उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय** मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान रजादेपुर से मानिकपुर जाने वाले रास्ते के पास से नियमानुसार **समय 06.15 बजे अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम नेमडाड थाना रामपुर वेलौली जनपद मऊ** उम्र करीब 24 वर्ष को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 174/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1-आशीष कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम नेमडाड थाना रामपुर वेलौली जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 174/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

03.थाना- कोतवालीः अपहरण कर रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी अमन सिंह पुत्र अवनीश कुमार सिंह निवासी मकान नं0-166 मोहल्ला आराजी बाग, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ बदरियाफ्त बता रहे हैं कि अरविन्द कुमार सिंह उर्फ बब्बू पुत्र स्व बलदेव सिंह निवासी ग्राम विजौरा, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ स्वयं को प्रापर्टी डिलर बताते हुए रनवीर सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के माध्यम से प्रार्थी के सम्पर्क में लगभग तीन वर्ष पूर्व आये तथा जाफरपुर स्थित जमीन दिखवाया गया जिसके कारण उनका प्रार्थी के घर उपरोक्त के सिलसिले में आना-जाना होने लगा। इसी बीच प्रार्थी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गयी तो अरविन्द सिंह से प्रार्थी द्वारा तीन दिन के लिए तीन लाख रूपये ले लिया गया। कुछ मजबूरी के चलते तीन दिन के अन्दर पैसे का भुगतान नहीं कर पाया तो उपरोक्त अरविन्द सिंह द्वारा 10,000 रू प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज माँगना शुरू कर दिया गया। प्रार्थी मजबूर होकर अपनी माँ संगीता सिंह से सारी बात बतायी तो उनके द्वारा अरविन्द सिंह के खाते में अपने खाते से पाँच लाख रूपया दिनांक 18.11.2023 को अदा कर दिया गया। कुछ दिनों बाद पुनः अरविन्द सिंह, रनविजय सिंह, निगम सिंह द्वारा प्रापर्टी डिलींग मे पैसा लगाने हेतु प्रार्थी को पुनः अपने विश्वास मे लिया गया। प्रार्थी उनकी बातों पर विश्वास कर प्रापर्टी डिलिंग मे साझेदारी में लेते हुए भिन्न-भिन्न तारीखों पर जरिये खाता व नकद कुल मिलाकर 22,05,800 रू0 उपरोक्त अरविन्द सिंह, रनवीर सिंह व उनके सहयोगी निगम सिंह तथा उनके परिजनों के के खाते में ले लिया गया। बीच-बीच मे कुछ पैसा उपरोक्त अरविन्द सिह द्वारा प्रार्थी को वापस भी किया गया। दिनांक 05.05.2024 को प्रार्थी के घर छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। जिसमें उपरोक्त रनवीर सिह व अरविन्द सिंह व रनवीर सिंह भी आये थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के घर रखा हुआ बैग गायब हो गया। जिसमें प्रार्थी का हस्ताक्षर किया हुआ चेकबुक, आधार कार्ड व एटीएम रखा हुआ था। उक्त बैग गायब होने के पश्चात रनवीर सिंह अरविन्द सिंह निगम सिंह प्रार्थी द्वारा दिये गये पैसे को वापस न करने की नियत से साजिश करके प्रार्थी को अपने 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर शहर मे स्थित अठवरिया मैदान में बुलाकर जान से मारने का भय दिखाकर अपहृत कर एक कमरे में बन्द कर प्रार्थी को भय में डालकर जबरदस्ती और धनउगाही करने की नियत से उपरोक्त गायब हुये बैग में रखे चेकबुक साइन किये हुए चेक सं0- 95072 पर 4,00000 रु भरवाकर प्रार्थी का जबरदस्ती वीडियो बना लिये तथा धमकी दिये कि यदि किसी से कहोगे और थाने पर जाओगे तो तुम्हे जान से मार दिया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 37/25 धारा 34,342,386 भादवि** दिनांक 26.1.2025 को पंजीकृत किया गया। यही मेरा बयान है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 13.5.25 को **नि0अ0 रफी आलम**, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह उर्फ बब्बू सिंह पुत्र स्व0 बलदेव सिंह निवासी ग्राम बिजौरा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़** उम्र 60 वर्ष को समय 19.10 बजे थाना हाजा कार्यालय से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अरविन्द कुमार सिंह उर्फ बब्बू सिंह पुत्र स्व0 बलदेव सिंह निवासी ग्राम बिजौरा थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 37/25 धारा 34,342,386 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-नि0अ0 रफी आलम, हे0कां0 लक्ष्मण यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

प्रेस नोट

जनपद आजमगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में क्राइम मीटिंग कर, अपराध की समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

दिनांक 13.05.2025 की रात्रि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक ने निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा की गयी।

➡चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु पिकेट गस्त एवं प्रभावित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

➡चोरी व नकबजनी की घटनाओ के शत प्रतिशत अनावरण एवं संपत्ति की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया ।

➡गम्भीर घटनाओं में राजपत्रित अधिकारी 24 घण्टे में घटना स्थल का निरीक्षण अवश्य करे।

➡दो सम्प्रदायों के मध्य घटित छोटी से छोटी घटना का तत्काल संज्ञान लेकर विधिक समाधान कराया जाये ।

➡थाना परिसर में खडे वाहनों का अविलम्ब निस्तारण कराया जाय ।

➡थाना परिसरो में नियमित रूप से साफ सफाई करायी जाये ।

➡माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित कर मुकदमो से सम्बन्धित निर्णयिक मालों का निस्तारण कराया जाये ।

➡IGRS के प्रार्थना पत्रो का समयवद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये ।

➡थानों पर आने वाले फरियादिओं की समस्याओं का यथाशीघ्र विधिक निस्तारण कराये जाये ।

➡स्थान व समय बदल- बदल कर वाहन चेकिंग करायी जाये तथा नियम विरूद्ध पाये जाने पर यथोचित कार्यवाही की जाये ।

➡महिलाओं की समस्याओ को शीर्ष प्रथामिकता प्रदान करते हुये शीघ्र निस्तारित कराया जाये ।

➡भ्रष्टाचार की जीरो टार्लेंस नीति का पालन कराया जाये । अधिक संख्या में लंबित विवेचनाओं का क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अर्दली रूम का आयोजन कर यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाये ।

➡माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये तथा गैंगस्टर एक्ट के अपराध से अर्जित संपत्तियों का नियमानुसार पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाये ।

➡टाप-टेन अपराधियों के विरूद्ध आपराधिक सक्रियता के आधार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

➡रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था हेतु जीआरपी व आरपीएफ से समन्वय स्थापित कर प्रभावी गस्त किया जाय।

➡नये कानूनों के प्रावधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी।

➡बीट प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए बताया गया कि सभी बीट आरक्षियों को उचित तरीके से बीट वितरण करते हुए, प्रतिदिन मीटिंग ली जाये, एवं एक उचित टास्क देकर अपने अपने बीट क्षेत्र में प्रतिदिन रवाना किया जाये।

➡उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।